पत्रांक : 4708 / उ.सू.आ. / 2011
दिनांक : 31/08/, 2011

प्रिय

जैसा कि आप अवगत हैं सूचना का अधिकार अधिनियम अब अपने कियान्वयन के षष्ठम वर्ष में प्रचलित है. विगत पांच वर्षों में आयोग में प्राप्त हुयी द्वितीय अपीलों के तुलनात्मक विश्लेषण के उपरांत विभिन्न समूहों द्वारा सूचना का अधिकार के उपयोग के संबंध में प्रतिशतवार निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुये हैं :

उपयोग का प्रतिशत					
1		2		3	
महिला	पुरूष	ग्रामीण	शहरी	बी.पी.एल.	ए.पी.एल
8%	92 %	21 %	79 %	3 %	97 %

इसी प्रकार आयोग में प्राप्त हो रही द्वितीय अपीलों में से कुल 83% अपीलें केवल देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर एवं नैनीताल जनपदों से प्राप्त हुयी हैं तथा शेष 09 जनपदों से मात्र 7% द्वितीय अपीलें ही आयोग को प्राप्त हुयी है.

2. उपरोक्त विश्लेषण से विभिन्न समूहों एवं जनपदों के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के उपयोग के अत्यधिक अंतर का एक असामान्य ग्राफ स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है तथा स्पष्ट है कि जनसामान्य द्वारा एक सीमित दायरे में ही राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रयोग किया जा रहा है. अधिनियम के संबंध में सीमित जानकारी का होना अधिनियम के उपरोक्त असामान्य प्रयोग का एक प्रमुख कारण है.

3. इस संबंध में मैं आपका ध्यान सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 26 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें अधिनियम के प्रचार प्रसार हेतु राज्य सरकार का दायित्व तथा उसके स्तर से की जाने वाली कार्यवाही का विवरण दिया गया है. इसमें मुख्यतः जनता की, विशेष रूप से, उपेक्षित समुदायों की अधिनियम के बारे में समझ की वृद्धि करने के लिए कि इस अधिनियम के अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग कैसे किया जाये, के संबंध में शैक्षिक कार्यक्रम बनाने; कार्यक्रमों का आयोजन करने; लोक प्राधिकारियों के कियाकलापों के संबंध में सही जानकारी प्रभावी रूप से प्रसारित किये जाने; लोक सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित करने; तथा नियमित अंतरालों पर मार्गदर्शी सिद्धांतों को अद्यतन एवं प्रकाशित करने आदि कर्तव्यों का विवरण दिया गया है.